Delhi Road Transport Service

*89. **Shri D. C. Sharma** : Will the Minister of **Transport** be pleased to state :

(a) the number of bus queue shelters constructed in Delhi so far; and

(b) the target fixed during the First Five Year Plan ?

The Parliamentary Secretary to the Minister of Railways and Transport (Shri Shahnawaz Khan) : (a) 54.

(b) No target was fixed for the First Five Year Plan but it is proposed to construct 100 bus queue shelters during the period of the Second Plan.

Delhi-Howrah Janata Express

*90. **Shri Tushar Chatterjea** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that for want of iron bars in windows of the sleeping coaches of the Delhi-Howrah Janata Express, journey in such coaches has become unsafe; and

(b) if so, whether Government propose to remedy the defect?

The Parliamentary Secretary to the Minister of Railways and Transport (Shri Shahnawaz Khan) : (a) No, Sir.

(b) Railways have been instructed to fit iron bars in windows of all sleeping coaches.

मानसिक रोगों का अस्पताल, रांची

*९१. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) रांची के मानसिक रोगों के अस्पताल में कुल कितने रोगियों को रखने की व्यवस्था है ;

(ख) प्रत्येक राज्य सरकार के रोगियों के लिये कितने स्थान सुरक्षित हैं ।

(ग) क्या विभिन्न राज्य सरकारें इस अस्पताल को कोई वार्षिक सहायता देती हैं ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ङ) विभिन्न राज्यों के लिये जो स्थान सुरक्षित किये गये हैं वे उनके द्वारा दिये गये अनुदान के आधार पर किये गये हैं अथवा अन्य किसी आधार पर; और

(च) जिन राज्यों के लिये कोई स्थान सुरक्षित नहीं किये गये हैं उनके रोगियों को भर्ती करने के लिये क्या प्रणाली है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) ४१५ ।

(ख) आर्थिक सहायता देने वाले भिन्न-भिन्न राज्यों के लिये सुरक्षित रखे गये बिस्तरों की संख्या इस प्रकार है :—

पश्चिमी बंगाल	२५५
बिहार	६०
उत्तर प्रदेश	३५
मध्य प्रदेश	१०
दिल्ली	१०
आसाम	६
उड़ीसा	६
भोपाल	१
राजस्थान	१
उत्तरपूर्वी सीमान्त एजेन्सी	१
	३८५

(ग) और (घ) जी, हां । माली साल के हिसाब से अस्पताल में दाखिल किये गये रोगियों की संख्या के मुताबिक राज्य सरकारें Capitation Charges देती हैं । १९५४–५५ से लेकर १९५५–५६ तक के वर्षों के लिये हर एक राज्य सरकार को २,०३३ रु० के हिसाब से Capitation Charges चुकाने हैं ।

(ङ) विभिन्न राज्यों के वार्षिक अनुदान के आधार पर उनके लिये बिस्तर सुरक्षित किये गये हैं ।